तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/11/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा हडवा पटवार हल्का हडवा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 62.08 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त भूमि वक्त भू पैमाईश वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सांगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खेता के नाम संयुक्त रूप से पैमाईश हुई थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सांगा की फौतगी का म्यूटेशन संख्या 72 दिनांक 12.02.73 को राजस्व रेकर्ड में भरा गया उस समय हल्का पटवारी ने वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र सांगाराम की जगह भंलवश सादुला पुत्र सांगा दर्ज कर दिया गया है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारि किये गये। तथा प्रतिवादी पैरोकार उप0। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान, परिवार राशन कार्ड, भामाशह कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। वादी के सही नाम सुरेश कुमार पुत्र सांगाराम के स्थान पर सादुला पुत्र सांगा दर्ज कर दिया गया है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 62.08 बीघा, मौजा हडवा, पटवार मण्डल हडवा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सादुला पुत्र सांगा के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र सांगाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 1.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाड़मेर सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 07/2019
अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वदीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरेश कुमार पुत्र सांगाराम, जाति–दर्जी, नि0 हडवेचा तह0 शिव		1. पुरखाराम पुत्र खेताराम 2. देवाराम पुत्र सांगाराम जाति–दर्जी, नि0 हडवेचा, तह0 शिव 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री भगवानदास गोयल उपस्थित

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 01.11.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 62.08 बीघा मौजा हडवा, पटवार मण्डल हडवा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सादुला पुत्र सांगा के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र सांगाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 01.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.14 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: